प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **28/2025** (अपील सूचना का अधिकार)

किशनलाल मेघवाल पताः गांव करणपुर, तहंसील–वल्लभनगर, उदयपुर

..............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर, उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 28-04-2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी के कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) के अन्तर्गत दिनांक 30.12.2024 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु जरिये पत्रांक रीडर/सू.अ./प्रथम अपील/28/25/209–10 दिनांक 21.02.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर द्वारा अपने पत्र कमांकः आर.टी.आई./2025/242 दिनांक 02.04.2025 से जवाब प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को अवगत कराया कि प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक विविध/आर.टी.आई./2025/43 दिनांक 20.01.2025 के द्वारा कार्यालय में उपस्थित होकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज प्राप्त नहीं होने पर दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। साथ ही श्रीमान के पत्रांक 3882 दिनांक 30.10.2023 से इस कार्यालय में प्राप्त पत्र में पत्रांक 3489 दिनांक 31.09.2023 का पत्र संलग्न नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त पत्रांक 3489 दिनांक 31.09.2023 इस कार्यालय में उपलब्ध करवाने का श्रम करावे, ताकि प्रार्थी का वांछित सूचना उपलब्ध करवाई जा सकें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर को अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना से संबंधित पत्रांक 3489 दिनांक 31.09.2023 कार्यालय में प्राप्त नहीं होने से अपीलार्थी कौ सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी। प्रत्यर्थी द्वारा न्यायालय से उक्त पत्रांक 3489 प्रत्यर्थी को प्रेषित कियां जाने का आग्रह किया गया है। प्रथम दृष्टया यह न्यायालय अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब से संतुष्ट नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। सहायक लोक सूचना अधिकार एवं उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना संबंधित कार्यालय से प्राप्त कर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों की पूर्ण पालना करते हुए अपीलार्थी को नियमानुसार 15 दिवस

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

सूचना उपलब्ध कराये एवं की गई कार्यवाही से इस न्यायालय को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28-04-25 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर